© 2019 IJSRSET | Volume 6 | Issue 3 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099
Themed Section : Engineering and Technology

भारतीय संविधान की प्रस्तावना और राजनीति

मदन कुमार वर्मा

एसो0 प्रोफेसर, उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।

मुख्य शब्द – प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव, स्वतन्त्रता, एकता–अखंडता, सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक न्याय, समाजवाद एवं धर्म–निरपेक्षता, इत्यादि।

जैसे किसी निबंध को लिखते समय हम उसकी प्रस्तावना लिखते हैं जिसमें उन आदर्शों एवं मूल्यों का समावेश रहता है। जिसके विषय में हम वर्णन आगे अपने निबंध में करते है। उसी प्रकार प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना होती है जो संविधान निर्माताओं के आदर्शों एवं मूल्यों को अभिव्यक्त करती है जिसे आगे संविधान में व्यवहारिक रूप देकर संविधान का निर्माण किया जाता है अतः हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना 'संविधान की कुंजी' होती है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखा गया 'उद्देश्य प्रस्ताव" है जिसे नेहरू जी ने 13 दिसम्बर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया था। संविधान निर्भात्री सभा ने आठ दिनों तक उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करने के उपरांत 22 जनवरी 1947 उसे स्वीकार किया यही उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना का मूल स्रोत बना। इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समस्त आदर्शो एवं मूल्यों का समावेश था।

मूल संविधान की प्रस्तावना 85 शब्दों से निर्मित थी।. 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्म–निरपेक्षता और अखंडता शब्द से जोड़ दिया गया। वास्तव में हमारे संविधान की प्रस्तावना इतनी सशक्त एवं सारगर्भित थी और है कि उसमें इन शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। पाश्चात्य विद्वानों में अर्नेश्ट बार्कर ने भारतीय प्रस्तावना की भूरि–भूरि प्रशंसा की है। पर दुर्भाग्यवश भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी तुष्टिकरण की राजनीति का शिकार हो गयी। अल्पसंख्यकों को खुश करने हेतु जहाँ धर्म–निरपेक्षा शब्द जोड़ा गया तो वहीं दूसरी और समाजवादी तथा शब्द जोड़ा गया जो किसी ने किसी रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहले सही उल्लिखित था अब परिवर्तित रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न है–

IJSRSET2293146 | Received : November 13, 2018 | Revision: 25 February 2019 | Accepted May 10, 2019 | Published May 16, 2019 | May-June-2019 [6 (3) : 463-465]

हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतन्त्रता एवं प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रापत करने के लिये तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 ई0 (मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छः विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान की अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। वास्तव में निम्न कारणों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन आवश्यक न था।

1. जब हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का उल्लेख है तो "समाजवादी' शब्द जोड़ने की आवश्यकता नही थी।
2. जब हमारे संविधान में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख था 'धर्म–निरपेक्षता' शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी एवं
3. जब हम हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में 'राष्ट्र की एकता' शब्द का उल्लेख था तो अखंडता शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी।

वास्तव में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किया गया संशोधन तुष्टीकरण की राजनीति व दिखावेपन की राजनीति के कारण किया गया अन्यथा प्रस्तावना में संशोधन की जरूरत न थी। क्योंकि इससे प्रस्तावना में शब्द बढ़े प्रस्तावना का भाव व अर्थ वही रहा। इससे भारत में आतंकवाद, साम्प्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला।

कानूनी की दृष्टि से संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है शुरू से यही दृष्टिकोण प्रस्तावना के प्रति हमारे सर्वोच्च न्यायालय का भी रहा। 1980 के बेरूबारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 'प्रस्तावना संविधान का अंग नही है' 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में न्यायाधीश बांचू ने भी उक्त दृष्टिकोण की पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान का अंग नही है। किन्तु 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण प्रतिपादित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संविधान की मूलभूत विशेषताएं उल्लिखित है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने "संविधान की मूलभूत संरचना' का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए यह निर्णय दिया कि संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है किन्तु संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। इसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का मूल ढाँचा किन–किन सिद्धान्तों पर आधारित है इसका उल्लेख प्रस्तावना में है।

वास्तव में हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे देश के राजनीतिक कर्णधारों के लिए मार्ग–निर्देशिका का कार्य करती है कि उन्हें देश की शासन व्यवस्था किन सिद्धान्तों व आदर्शो के आधार पर चलानी है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में प्रस्तावना को संविधान की मूलभूत संरचना का भाग माना है जिससे संसद को प्रस्तावना में संविधान संशोधन का अधिकार मिल गया और संविधान की प्रस्तावना 1976 के 42वें संशोधन का शिकार हो गयी थी और जिसका सत्तारूढ़ दल ने अपने राजनीतिक हित में प्रयोग किया। संविधान ने संसोधन अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिये किया।

सन्दर्भ

1. भारतीय शासन एवं राजनीति – फाडिया बी.एल.
2. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था – सईद एस.एम.
3. भारत का संविधान एक परिचय – डा. वसु डी.डी.